न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा

पीठासीन अधिकारी – अतुल प्रकाश, आई०ए०एस० (प्रशिक्षु)

प्रकरण संख्या : 70 / 13

रामस्वरूप आत्मज राधाकिशन, उम्र 47 साल, जाति बैरागी, निवासी ग्राम रानक्याखेडी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

–(वादी)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

– (प्रतिवादी)

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

दिनांक : 11.02.2020

उपस्थिति : वादी अभिभाषक श्री नरेन्द्र कुमार नन्दवाना

निर्णय

1. यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 के अन्तर्गत वास्ते दिये जाने खातेदारी अधिकार न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया है।
2. वादी द्वारा अपना वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि :–
   - वादी की कब्जे काश्त की भूमि वाके ग्राम रानक्याखेडी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में खसरा नम्बर 147 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 148 रकबा 1.14 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 1.22 हैक्टर भूमि स्थित है। मुताबिक सेटलमेन्ट जमावन्दी संवत 2038–2057 उक्त भूमि बरानी एवं बंजड है जिस पर वादी का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है।
   - वादी का उक्त भूमि पर करीबन 40–50 सालों से भी अधिक समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी से पूर्व वादी के पिता श्री राधाकिशन उक्त भूमि पर कब्जा काश्त करते चले आ रहे थे। मुताबिक खसरा परिवर्तनशील (पिछोदा) संवत 2043, 2049, 2050, 2051, 2053, 2068, 2069 में वादी ने उक्त भूमि पर फसल बोई थी। इस प्रकार वादी का उक्त भूमि पर काफी लम्बे समय से कब्जा काश्त होने के कारण ऑपरेशन ऑफ वाई लॉ स्वतः ही वादी खातेदार कृषक हो चुका है तथा दढवर्स पजेशन हो जाने के कारण भी वादी को उक्त भूमि पर बतौर खातेदार कृषक हो चुका है।
   - उपरोक्त भूमि में वादी के विरूद्ध प्रतिवादी ने उक्त आराजी को सिवायचक होने के कारण धारा 91 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की कार्यवाही कर रखी है तथा वादी समय समय पर जुर्माना अदा कर रहा है। वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रशासन गांव के संग अभियान फरवरी, 2013 कैम्प कसार में भी उक्त आराजी के सम्बन्ध में दिया गया लेकिन उन्होने यह कहते हुये कि आप सक्षम न्यायालय में दावा दायर करो, वहां से आपको खातेदारी अधिकार मिल जायेगें। इस कारण उक्त वाद माननीय न्यायलय में प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

11/2/2020

Scanned by CamScanner

- वादी जब पिछोदा की नकलें लेने के लिये दिनांक 13.05.2013 को हल्का पटवारी के पास गया तो हल्का पटवारी ने वादी को धमकी दी कि आप उक्त आराजी के सम्बन्ध में या तो सक्षम न्यायालय में वाद दायर को अन्यथा आपको बेदखल कर दिया जायेगा। इस प्रकार वादी को धमकी देने के कारण दिनांक 13.05.2013 को वाद कारण उत्पन्न हुआ।
- वादी का वाद अर्जेन्ट नेचर का होने के कारण राज्य सरकार को मियादी दो माह का नोटिस दिया जाना संभव नहीं है क्योंकि यदि उक्त अवधि का इंतजार किया गया तो वादी को बेदखल कर दिया जावेगा एवं वाद का प्रस्तुत करना ही निरर्थक हो जावेगा। इस कारण माननीय न्यायालय से अनुमति प्राप्त करने के लिये धारा 80(2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र वादपत्र के साथ अलग से संलग्न है।
- वादी का वाद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में स्थित होने के कारण माननीय न्यायालय को उक्त वाद को सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है। वादी का वाद उचित न्यायशुल्क एवं अवधि मध्य प्रस्तुत है।
- अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि रानक्याखेडी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 147 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 148 रकबा 1.14 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 1.22 हैक्टर भूमि भूमि पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम अमल दरामद फरमाया जावे एवं प्रतिवादी को पाबन्द फरमाया जावे कि वादी के कब्जे काश्त की आराजी में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करे, बेदखल नहीं करे एवं शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त करने से नहीं रोके।
- वादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में वादपत्र के साथ विवादित आराजी की खसरा गिरदावरी संवत 2043, 2049, 2051, 2053, 2068, 2069 तथा नकल जमाबन्दी संवत 2066–2069 पेश की गई है।

2. न्यायालय में पेश वाद में प्रतिवादी सरकार की (जर्ये तहसीलदार) तलवी हेतु सम्मन जारी किये गये जिसमें प्रतिवादी की तलवी के बावजूद भी उपस्थित नहीं होने तथा जवाब/साक्ष्य आदि पेश नहीं करने पर न्यायालय पत्रांक रीडर/एसीएम/2017/800 दिनांक 06.04.2017 से जवाब दावा/साक्ष्य/रिपोर्ट हेतु लिखे जाने पर भी न तो कोई उपस्थित हुआ और न ही कोई जवाब आदि पेश किया गया, फलस्वरूप सरकार का जवाब दावा एवं साक्ष्य प्रतिवादी बन्द किया गया। तथा आदेश 5 नियम 9(5) सीपीसी के अनुसार सम्यक तामील की घोषणा होने पर आदेश 9 नियम 6^{1}(क) सीपीसी के अनुसार प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वादी की ओर से गवाह (PW-1) रामस्वरूप आत्मज राधाकिशन, (PW-2) रामभरोस आत्मज गोपीलाल एवं (PW-3) अनिल कुमार आत्मज फूलचन्द के साक्ष्य के शपथ पत्र पेश किये, जो शामिल पत्रावली किये गये। वादी गवाह (PW-1) व (PW-3) से जिरह पूर्ण की गई। तदुपरान्त प्रकरण पर वादी अभिभाषक की एकपक्षीय बहस अन्तिम सुनी गई। वादी वकील द्वारा अपनी बहस में वाद पत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम रेनक्याखेडी, पटवार हल्का कसार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की विवादित आराजी पर वादी के पिता काबिज काश्त थे तथा उनकी मृत्यु उपरान्त से ही वादी काबिज काश्त है। इस प्रकार वादी का विवादित आराजी पर गत 40–50 वर्षो के कब्जा है, जिसके आधार

Scanned by CamScanner

पर वादी ऑपरेशन आफ वाई लॉ तथा एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदार कृषक हो चुका है। अतः वादी के अनवरत कब्जे के आधार पर वादी को विवादित आराजी की खातेदारी दी जाकर उसका राजस्व अभिलेख में अमल दरामद कराये जाने तथा प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया।

4. हमने वादी अभिभाषक की, प्रकरण पर की गई बहस अन्तिम के कथनों पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया। जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वादी द्वारा विवादित आराजी पर अपने 40–50 वर्षो के कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार चाहे गये है। इस हेतु वादी की ओर से खसरा गिरदावरी का भी उल्लेख किया गया है। वादी द्वारा अपने वाद में जुर्माना अदा करने का भी उल्लेख किया है किन्तु जुर्माना हेतु धारा 91 के नोटिस अथवा जुर्माना जमा कराने की रसीद स्वरूपि कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिया जाना प्रतिबन्धित है, जिससे कृषि भूमि पर केवल कब्जे अथवा लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी दिये जाने के अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं है। विधिसंगत तथ्य भी यही है कि केवल लम्बे कब्जे के आधार पर खातेदारी के अधिकार नहीं दिये जा सकते, चाहे कब्जा कितना भी लम्बा क्यों न हो। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालयों के निम्नांकित गत निर्णयों का भी दृष्टान्त लिया जाना समीचीन होगा –

1	केवल लम्बे कब्जे के आधार पर वाद नहीं लाया जा सकता है। (परमसुख बनाम स्टेट 1978, आर.आर.डी. 482)
2	किसी व्यक्ति के कब्जे के आधार पर खातेदारी हकों की घोषणा नहीं की जा सकती है। (रामसिंह बनाम पतिराम, 1996 आर.आर.डी. 389 पेज 391)
3	केवल मात्र कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। (राजस्थान राज्य बनाम गिरधारीलाल, 1988 आर.आर.डी. 78)
4	धारा 88 के अन्तर्गत केवल मात्र मौखिक साक्ष्य के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। (राजस्थान राज्य बनाम धरमा 1988 आर.आर.डी. 364)

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर वादीगण को मात्र लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारी प्रदान नहीं किये जा सकते है। अतः कृषि आराजी पर लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिया जाना प्रतिबन्धित होने तथा वाद वादी स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

5. यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 11 फरवरी, 2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अतुल प्रकाश)
आई.ए.एस. (प्रशिक्षु)
सहायक कलक्टर, कोटा

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा

पीठासीन अधिकारी– अतुल प्रकाश, I.A.S. (P)

बउनवान :–

रामस्वरूप आत्मज राधाकिशन, उम्र 47 साल, जाति बैरागी, निवासी ग्राम रानक्याखेडी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

–(वादी)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

– (प्रतिवादी)

दावा बाबत : 88, 89 RTA
मुकदमा नम्बर : 70 / 13
निर्णय दिनांक : 11-02-2020

न्यायालय हाजा में वादीगण की ओर से विद्वान वादी अभिभाषक श्री नरेन्द्र कुमार नन्दवाना की उपस्थिति में वाद पत्र की बहस अन्तिम सुनने के बाद आज तारीख 11–02–2020 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्री अतुल प्रकाश, आई.ए.एस. (प्रशिक्षु) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादी द्वारा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार चाहे गये है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कृषि आराजी पर लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिया जाना प्रतिबन्धित होने तथा वाद वादी स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

– खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह अन्तिम डिक्री आज तारीख 11.02.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

11/2/2020
(अतुल प्रकाश)
आई.ए.एस. (प्रशिक्षु)
सहायक कलक्टर, कोटा

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया	1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शो के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	..... रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
	जोड			जोड	

Scanned by CamScanner